कार्यालय ग्राम पंचायत ...हमीरपुर... पं.स. पाटन (सीकर)

क्रमांक : 03/2026-27

दिनांक : 10/04/2026

ई–निविदा सूचना संख्या ..01.. /2026–27

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत ...हमीरपुर...के अधीनस्थ ग्रामों में वित्तीय वर्ष 2026–27 मे घर एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से कचरा संग्रहण एवं पृथक्ककरण, गांवों की सड़क एवं नाली सफाई कार्य तथा सामुदायिक स्वच्छता परिसर की सफाई कार्य की सेवाओं हेतु इच्छुक जी.एस.टी. पंजीकृत निविदादाताओं/फर्मों से निविदाएँ आमन्त्रित की जाती है। निविदा फार्म/शर्तें ऑनलाईन (**http://sppp.rajasthan.gov.in** एवं **http://www.eproc.rajasthan.gov.in**) पर देखी जा सकती है।

क्र. सं.	बोली का विवरण	अनुमानित लागत राशि (रूपयें में)	बोली प्रतिभूति राशि (रूपये में)	बोली प्रपत्र शुल्क (रूपये में)	M.D RISL शुल्क (रूपये में	बोली प्रपत्र डाउनलोड एवं अपलोड शुरू करने की दिनांक व समय	बोली प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक व समय	बोली खोलने की दिनांक व समय
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ग्राम पंचायत के समस्त गावों में घर–घर (आवासीय एवं व्यवसायिक) से कचरा संग्रहण एवं पृथक्ककरण, सड़क एवं नाली सफाई, तथा सामुदायिक स्वच्छता परिसर की सफाई सहित कार्य	1195950/-	23920/-	500	500	6-5-26 व समय 9.30 बजे से 18-5-26 समय 6.00 बजे तक	19-5-26 समय 1.00 बजे तक	19-5-26 समय 2.00 बजे

1. निविदा शर्ते **http://sppp.rajasthan.gov.in** एवं **http://www.eproc.rajasthan.gov.in** पोर्टल से डाउनलोड की जा सकती है। निविदा प्रपत्र शुल्क, प्रोसेसिंग शुल्क एवं अमानत राशि के मूल डी.डी./बैंकर चैक की प्रति ऑनलाईन तकनीकी निविदा के साथ संलग्न कर अपलोड करनी होगी। साथ ही निविदा शुल्क, प्रोसेसिंग शुल्क एवं अमानत राशि का डी.डी./बैंकर चैक निविदा खोलने की दिनांक 19-5-26 को 1.00 बजे तक जमा करानी होगी।
2. निविदा आमंत्रण की विस्तृत सूचना मय बोली दस्तावेज ग्रा.पं. ...हमीरपुर...पंचायत समिति पाटन जिला नीमकाथाना के कार्यालय से व्यक्तिशः अथवा राजस्थान राज्य लोक उपापन पोर्टल **http://sppp.rajasthan.gov.in** एवं **http://www.eproc.rajasthan.gov.in** पर भी देखा जा सकता है।
3. निविदा प्रपत्र शुल्क व अमानत राशि का डी.डी./बैंकर चैक ग्राम पंचायत ...हमीरपुर... के नाम बनाना होगा एवं प्रोसेसिंग शुल्क का चालान M.D RISL, Jaipur के नाम देय होगा।
4. निविदा प्रपत्र शुल्क, प्रोसेसिंग शुल्क एवं प्रतिभूति राशि दस्तावेजो को भौतिक रूप से कार्यालय में जमा कराने वाले निविदादाताओं की ही तकनीकी बोली खोली जावेगी।
5. तकनीकी–वाणिज्यिक/क्वालिफाईड बिड दिनांक 19-5-26 को दोपहर 2.00 बजे कार्यालय पंचायत समिति पाटन में उपस्थित बोलीदाता/संवेदक या उनके अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष उपापन समिति द्वारा खोली जायेगी व तकनीकी बोली में सफल बोलीदाता की ही वित्तीय बोली खोली जायेगी।
6. किसी निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने या किसी बोली को निरस्त करने का उपापन समिति का अधिकार सुरक्षित है।

संतोष कँवर
प्रशासक
ग्राम पंचायत ...... हमीरपुर
पं.स. पाटन (सीकर) राज.

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत ...... हमीरपुर
पं.स. पाटन (सीकर) राज.

तकनीकी निविदा प्रपत्र

1	निविदा सूचना संख्या	
2	कार्य का नाम	ग्राम पंचायत के समस्त गावों में घर एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से कचरा संग्रहण एवं पृथक्ककरण, सड़क एवं नाली सफाई, तथा सामुदायिक स्वच्छता परिसर की सफाई सहित कार्य
3	निविदादाता फर्म का नाम, पता मय दूरभाष/मोबाइल नं.	
4	निविदा अनुमानित लागत	राशि रु .... लाख (निविदा सूचना अनुसार)
5	निविदा प्रपत्र शुल्क का विवरण/डी.डी. नं.	राशि रु .... डी.डी. नं.................दिनांक ....
6	प्रोसेसिंग फीस का विवरण (MD RISL)	राशि रु .... डी.डी. नं...................... दिनांक
7	अमानत राशि का विवरण/डी.डी. नं.	राशि रु .... डी.डी. नं.................दिनांक ....
8	फर्म का रजिस्ट्रेशन वर्ष व नम्बर	
9	फर्म का पेन न.	
10	फर्म का जीएसटी न.	
11	बैंक खाते का पूर्ण विवरण	
12	फर्म के पास उपलब्ध कचरा संग्रहण वाहनों का विवरण	
13	फर्म का टर्नओवर (गत दो वर्षों का कार्य की लागत का 50 प्रतिशत न्यूनतम) का विवरण	
14	फर्म का कार्य अनुभव (न्यूनतम एक वर्ष सरकारी, अर्दसरकारी एवं निजी संस्था में कार्य) का विवरण	

राजस्थान में सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) में पंजीकृत फर्मों को वित्त विभाग के नोटिफिकेशन के प्रावधानानुसार 0.5 प्रतिशत बोली प्रतिभूति का डी.डी./बैंकर्स चैंक संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा।

कार्यालय पंचायत समिति पाटन द्वारा जारी की गई निविदा सूचना संख्या ....दिनांक........................ हेतु मेरे द्वारा/फर्म द्वारा दी गई उक्त जानकारी सत्य है तथा उक्त निविदा सूचना की शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते है।

हस्ताक्षर निविदा दाता

निविदा शर्ते

1. निविदाएं केवल ऑनलाईन ही स्वीकार की जावेगी। ई–टेंडरिग के लिये निविदादाता हेतु निर्देश–

(अ) इन निविदाओं में इच्छुक निविदादाता निविदा प्रपत्रों को **http://sppp.rajasthan.gov.in** एवं **http://www.eproc.rajasthan.gov.in** से डाउनलोड किया जा सकता है।

(ब) निविदाओं में भाग लेने वाले निविदादाताओं को इन्टरनेट साइट **http://www.eproc.rajasthan.gov.in** पर रजिस्टर्ड करवाना होगा। ऑनलाईन निविदा में भाग लेने के लिये डिजिटल सर्टिफिकेट इन्फॉरमेशन टेक्नोलोजी एक्ट 2000 के तहत प्राप्त करना होगा जो इलैक्ट्रोनिक निविदा में हस्ताक्षर करने हेतु काम आयेगा। निविदादाता उपरोक्त डिजिटल सर्टिफिकेट सी0सी0ए0 द्वारा स्वीकृत ऐजेन्सी से प्राप्त कर सकते है। जिन निविदादाताओं के पास पूर्व में वैध डिजिटल सर्टिफिकेट है, उनकों पुनः लेने की आवश्यकता नही है।

(स) निविदादाताओं को निविदा प्रपत्र इलैक्ट्रोनिक फॉरमेट उपरोक्त वेबसाइट पर डिजिटल हस्ताक्षर के साथ प्रस्तुत करना होगा। जिसके प्रस्ताव डिजिटल हस्ताक्षर के साथ नही होगें उनके प्रस्ताव स्वीकार नही किये जायेगें। कोई भी प्रस्ताव अकेले भौतिक फार्म में स्वीकार्य नही होगा।

(द) इलैक्ट्रोनिक निविदा प्रपत्रों को जमा कराने से पूर्व निविदादाता यह सुनिश्चित कर लेवे कि निविदा प्रपत्रों से सम्बधित सभी आवश्यक दस्तावेज की स्केन कॉपी निविदा प्रपत्रों के साथ संलग्न कर दी गयी है।

(य) कोई भी टेन्डर इलैक्ट्रोनिक जमा कराने में किसी कारण से विलम्ब/लेट हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कार्यालय/विभाग नही होगा।

(र) टेन्डर के प्रपत्रों में आवश्यक सभी सूचियों को सम्पूर्ण रूप से भर कर ऑनलाईन दर्ज करे।

2. दरे शब्दों एवं अंको दोनो में लिखी जायेगी तथा इसमें कोई त्रुटि या काट–छांट, ओवर राईटिंग नहीं होनी चाहिए।
3. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012, नियम 2013 तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं इस सम्बन्ध में वित्त विभाग, राजस्थान द्वारा जारी अधिसूचना, परिपत्र, गाईडलाईन आदेश, निर्देश आदि प्रभावी रहेंगे।
4. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्दीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व सम्बन्धित संवेदक/बोलीदाता का होगा।
5. राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक/बोलीदाता ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होंगे। पंजीकरण प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि सम्पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ प्रस्तुत की जायेगी।
6. निविदादाता को इस प्रपत्र पर अंकित सभी दस्तावेजो की छाया प्रतियां स्वप्रमाणित कर इस तकनीकी निविदा प्रपत्र के साथ अपलोड करनी होगी।
7. श्रम विधि नियम उपनियम व अधिसूचनाऐं आदि में दिये गये दिशा–निर्देशों की पालना एवं समस्त श्रम नियमों की पालना करने का दायित्व सेवा प्रदायकर्ता का होगा। श्रम विधि नियम उपनियम एवं अधिसूचनाओं की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिए सेवा प्रदायकर्ता स्वयं उत्तरदायी होगा। सेवा प्रदायकर्ता को श्रम विधि नियम उपनियम तथा केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों एवं श्रमिक हित में जारी किये गये संशोधन की पालना करने का दायित्व ठेकेदार/सेवाप्रदाता का होगा, पालना नहीं करने की स्थिति में विभाग को निविदा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
8. बोलीदाता को आवश्यकतानुसार 12 माह तक अथवा आगामी निविदा की प्रक्रिया पूर्ण होने तक अनुमोदित दर से कार्य जारी रखने होगें तथापि कार्य संतोषजनक होने पर आपसी सहमति से अनुबन्ध की अवधि नियमानुसार आगे बढाई जा सकेगी।

9. श्रम अधिनियम के प्रावधानों की पालना नहीं होने पर उनके विरूद्ध श्रमिक द्वारा श्रम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने की स्थिति में निविदादाता स्वयं के खर्चे से वाद का निस्तारण करायेगा। यदि अनुबन्ध अवधि में लगाये गये श्रमिक के साथ कोई दुर्घटना हो तो उससे होने वाले प्रत्येक दायित्व के लिए निविदादाता पूर्ण जिम्मेदार होगा। विभाग की प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
10. बोलीदाता द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किये जाने की शिकायत उपापन संस्था को प्राप्त होती है तो उपापन संस्था इस संबंध में श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित करेगी और नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक को डीबार कराने की कार्यवाही करेगी।
11. संवेदक/बोलीदाता द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप उनके बैंक खातों में ही किया जायेगा। सम्बन्धित संवेदक/बोलीदाता द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि का विवरण आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि के विवरण बाबत संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।
12. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को भुगतान करने का दायित्व सम्बन्धित संवेदक/बोलीदाता को होगा। संवेदक/बोलीदाता को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार समस्त श्रमिकों का नियमानुसार EPF, ESI जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिक की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक/बोलीदाता का अंशदान शामिल होगा। संवेदक/बोलीदाता द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के EPFऔर ESIके अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में सम्बन्धित चालान की प्रति प्रस्तुत किऐ जाने पर ही संवेदक/बोलीदाता को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा। स्थानीय श्रमिको को प्राथमिकता से नियोजित करना होगा।
13. संवेदक/बोलीदाता द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (GST)की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा कराने की जिम्मेदारी संवेदक/बोलीदाता की ही होगी। संवेदक/बोलीदाता द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर (GST) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर (GST) का भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्व के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक/बोलीदाता का होगा।
14. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक/बोलीदाता का ही होगा।
15. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं, दिशा निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिए संवेदक/बोलीदाता स्वयं उत्तरदायी होगा।
16. यदि संवेदक/बोलीदाता एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसके प्रबंधकीय जिम्मेदारी संवेदक/बोलीदाता की होगी। इसके लिये .... के समक्ष प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियम एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालना करने के लिए उत्तरदायी होगा।
17. नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने का औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 में विहित प्रावधानों, के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छंटनी मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक/बोलीदाता का होगा।
18. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के सम्बन्ध में/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ ESI करवाने/सामूहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक/बोलीदाता का होगा, इसके लिये इस कार्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

19. बोली की विधि मान्यता वित्तीय बोली/प्राईस बिड खुलने की तिथि से 90 दिन की अवधि के लिए विधि मान्य होगी।

20. बोलीदाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नहीं सोपेगा या भाडे (Sub-let) पर नहीं देगा।

21. जिस बोलीदाता को बोली स्वीकार की जायेगी, वह कार्यादेश जारी होने के 07 दिवस में कार्य प्रारम्भ करेगा।

22. मूल्यांकन की कसौटी – तकनीकी–वाणिज्यिक बोली में सफल/क्वालिफाईड बोलीदाता/संवेदक की न्यूनतम कीमत के आधार पर वित्तीय बोली/क्वालिफाईड बिड का मूल्यांकन किया जावेगा।

23. बोलियों का अपवर्जन :– अधिनियम की धारा 25 में उल्लेखित आधार पर बोली को अपवर्जित किया जा सकेगा।

24. सफल निविदा दाता द्वारा कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि 5 % के नाम पर डिमान्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के रूप में जमा कराने के पश्चात् ही कार्यादेश जारी किया जावेगा। सफल बोलीदाता के करार निष्पादन पर और कार्य सम्पादन प्रतिभूति देने या उपापन प्रक्रिया के निरस्तीकरण पर शीघ्र ही बोली प्रतिभूति बोलीदाताओं को लौटा दी जावेगी।

25. बोली प्रतिभूति का समपहरण (Forfeiture of Bid security) बोली प्रतिभूति का निम्नलिखित मामलों में समपहरण) किया जा सकेगा :–

(क.) जब बोलीदाता बोली खुलने के बाद किन्तु बोली को स्वीकार करने के पूर्व अपने प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें रूपान्तरण करता है।

(ख.) जब बोलीदाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर करार निष्पादन नहीं करना है।

(ग.) जब बोलीदाता बोली स्वीकृति की सूचना के पश्चात कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा नहीं कराता है।

(घ.) जब सफल बोलीदाता निर्धारित सप्लाई अवधि में कार्य प्रारम्भ नहीं करता।

(ड़) यदि बोली लगाने वाला अधिनियम और इन नियमों के अध्याय–6 में विनिर्दिष्ट बोली लगाने वालों के लिए विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबंध को भंग करता है।

26. कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का समपहरण (Forfeiture of work Performance Security Deposit) :– कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नांकित मामलों में समपहरण किया जा सकेगा।

(क.) जब निविदा की शर्तो का उल्लंघन किया गया हो।

(ख.) जब बोलीदाता कार्य/सम्पूर्ण सेवा सप्लाई सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हों।

(ग.) जब बोलीदाता सेवा सप्लाई/कार्य आदेश के अनुसार निर्धारित सप्लाई अवधि में सेवा की सप्लाई आरम्भ करने में असफलरहता हो। कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि के समपहरण करने के मामलों में युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर दिया जायेगा। इस सम्बन्ध में उपापन संस्था का निर्णय अंतिम होगा।

27. करार एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति :–

(अ.)बोली आमंत्रण में अंकित सेवा की आपूर्ति हेतु सफल बोलीदाता को बोली स्वीकृति आदेश पत्र की दिनांक से अधिकतम 7 दिन में सेवा के प्रदाय आदेश की रकम की पांच प्रतिशत राशि कार्य सम्पादन प्रतिभूति के रूप में डिमान्ड ड्राफ्ट/बैकर्स चैक संबंधित ग्राम पंचायत के नाम पर जमा करानी होगी एवं नियमानुसार 500/–नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियम में निर्धारित एस.आर. प्रारूप 17 में एक करार पत्र निष्पादन करना होगा।

(ब.) सफल बोली दाता द्वारा, बोली प्रतिभूति की राशि को कार्य निष्पादन प्रतिभूति की राशि में समायोजन की जा सकती है या लौटायी जा सकती है, यदि सफल बोली लगाने वाला पूर्ण कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमाकराता है।।

(स.) कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जायेगा।

28. भुगतान :–सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार उचित प्रारूप में बिल तीन प्रतियों में प्रस्तुत करने पर नियमानुसार भुगतान किया जायेगा। अनुबंधित बोलीदाता द्वारा प्रत्येक माह का बिल भुगतान हेतु आगामी माह

के प्रारम्भ के 03 कार्य दिवस में प्रस्तुत किया जावेगा। विलम्ब से बिल प्रस्तुत करने पर भुगतान में होने वाले विलम्ब के लिएअनुबंधित बोलीदाता स्वयं जिम्मेदार होगा।

29. परिनिर्धारित क्षति (Liquidate Damages) :—सेवादाता फर्म द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार यदि सेवा उपलब्ध नहीं कराई जाती है, तो प्रतिदिन — रू. 1500/— की शास्ति लगाई जावेगी, जिसकी अधिकतम सीमा अनुबंध राशि से ज्यादा नहीं होगी।
30. निविदा प्रपत्र पर संवेदक/संस्था द्वारा हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत करने का प्रमाण पत्र संलग्न करें।
31. यदि संवेदक/संस्था द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को निविदा प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत किया गया है तो अधिकृति प्रमाण पत्र (Resolution, Power Of Attorney) संलग्न करें।
32. संवेदक/बोलीदाता को दी जाने वाली EPF,ESI एवं जी.एस.टी की दरो में केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशो के अनुसार कमी या वृद्धि की जा सकेगी।
33. किसी निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने या किसी बोली को निरस्त करने का उपापन समिति का अधिकार सुरक्षित है।
34. एम.एस.एक्ट 2013 की पालना एवं सुरक्षा उपायों तथा किसी प्रकार के मुआवजें का भुगतान स्वीकृत बोलीदाता द्वारा किया जावेगा।
35. स्वीकृत बोलीदाता द्वारा निविदा प्रपत्र में वर्णित घर एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से कचरा संग्रहण एवं आर.आर. सी. पर कचरे का पृथक्कीकरण, बाजार/चौक/रोड़ पर झाडू/सफाई एवं नाली सफाई तथा सामुदायिक स्वच्छता परिसर सफाई हेतु वाहन/श्रमिक/सफाई उपकरण आदि उपलब्ध करवाना अनिवार्य होगा तथा वाहन को 24 घंटे संबंधित ग्रा.पं. में रखना होगा।
36. उपापन संस्था/ग्राम पंचायत द्वारा कार्य निर्धारित मापदण्डों के अनुसार नहीं करने पर गतिविधिवार/दैनिक राशि में कटौती की जा सकेगी।
37. सभी निविदा का न्याय क्षेत्र नीमकाथाना होगा।
38. किसी भी विवाद के लिए अन्तिम निर्णय सरपंच ग्राम पंचायत संबंधित का मान्य होगा।
39. क्षेत्र की सफाई में होने वाले समस्त प्रकार के व्यय संवेदक द्वारा वहन किये जायेंगे (जैसे डंडे वाली झाडू, फावड़े, परात, कसिया, डस्टबिन, पुशकार्ट, हेंड ग्लब्स, मास्क, सेफ्टी जूते, ऑवर कोर्ट, सबल परिवहन के साधन का मैन्टीनेंस आदि)।
40. निविदा में वर्णित कार्य का समय प्रातः 8.00 से सांय 4.00 बजे तक रहेगा तथा समय परिवर्तन आपसी बातचीत से सरपंच/ग्रा.वि.अ. के निर्देशानुसार परिवर्तन किया जा सकेगा।
41. स्वीकृत बोलीदाता अथवा श्रमिकों द्वारा ग्राम पंचायत से किसी भी प्रकार के रोजगार की मांग नहीं की जा सकेगी।
42. कचरे का संग्रहण एवं पृथक्कीकरण एवं निस्तारण वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार आर.आर.सी. पर किया जायेगा, जिसमें प्लास्टिक कचरे का निस्तारण सम्मिलित है। प्लास्टिक कचरे का निस्तारण प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 (यथा संशोधित) के अनुसार करना होगा।
43. कचरे का परिवहन ट्रोली में करते समय कचरा ढक कर ले जाना होगा।
44. किये गये कार्य का सत्यापन एवं कार्य के भुगतान की अनुशंषा संबंधित वार्ड पंच, ग्राम पंचायत की समिति एवं ग्राम विकास अधिकारी द्वारा किया जायेगा।
45. कार्य का सत्यापन किये जाने एवं भुगतान की अनुशंषा उपरांत भुगतान मासिक आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा किया जायेगा।
46. स्वीकृत बोलीदाता द्वाराकिये गये कार्य का लॉगबुक/रजिस्टर (ग्राम पंचायत में संधारित) में दैनिक आधार पर इन्द्राज किया जायेगा।
47. ग्राम पंचायत में संधारित सफाई कार्य से संबंधित लॉगबुक/रजिस्टर का प्रतिदिन ग्राम विकास अधिकारी/सरपंच द्वारा निरीक्षण किया जायेगा एवं समय—समय पर जन प्रतिनिधि/पंचायत समिति/जिला के अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जायेगा।

48. यह निविदा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 में उल्लेखित नियम, राजस्थान लोक उपादान पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों के अधीन होगी।

मेरे द्वारा उपर्युक्त शर्तो को अक्षरशः पढ़ व समझ लिया गया है एवं उक्त शर्तो की पालना करते हुए मेरे द्वारा उपलब्ध करायी गयी दरों पर आप द्वारा वांछित सामग्री/सेवा निविदा में वर्णित स्पेसिफिकेशन के अनुसार उपलब्ध कराने को सहमत हूँ।

हस्ताक्षर निविदादाता

पता

शपथ पत्र

(100 रू के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर)

मैं...पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ....उम्र............ निवासी ....
..तहसील..................जिला..............शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि –

1. मेरी फर्म/कम्पनी का नाम .... है।
2. मेरी फर्म/कम्पनी का जी0 एस0 टी0 पंजीयन संख्या ....है।
3. मैं इस फर्म /कम्पनी का प्रोपराइटर/ अधिकृत प्रतिनिधि हूँ ।
4. मेरी फर्म/कम्पनी किसी भी सरकारी विभाग/राजकीय उपक्रम/स्वायतशासी संस्था/सरकारी निगम/प्राईवेट संस्था मे ब्लैक लिस्टेड नही है।
5. मेरी फर्म/कम्पनी द्वारा सभी प्रकार के कर समय पर संबंधित विभाग मे जमा करवाये जाते है।
6. मेरी फर्म/कम्पनी द्वारा निविदा की शर्तों के अनुसार संलग्न किये गये वितीय वर्ष 2024–25 एवं वितीय वर्ष 2025–26 मे से किसी भी एक वितीय वर्ष मे निविदा की अनुमानित लागत के बराबर टर्नओवर एवं वितीय वर्ष 2025–26 के चतुर्थ तिमाही की जी.एस.टी. रिटर्न जमा करवाये जाने के अधिकृत दस्तावेज हेतु चार्टेड एकाउन्टेन्ट/फर्म... के द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र पूर्ण रूप से सत्य है ।

उक्त शपथ पत्र मे वर्णित समस्त तथ्य मेरी निजी जानकारी एवं ज्ञान से सही एवं सत्य है । कोई भी कथन असत्य पाए जाने पर सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी स्वयं की होगी ।

हस्ताक्षर
शपथ ग्रहिता

सत्यापन

मैं उपरोक्त शपथ ग्रहिता सत्यापन करता/करती हूँ, कि उक्त शपथ पत्र मे वर्णित समस्त तथ्य मेरी निजी जानकारी एवं ज्ञान से सही एवं सत्य है ।

हस्ताक्षर
शपथ ग्रहिता

<u>निविदादाता द्वारा घोषणा</u>

मै/हम घोषणा करता हूँ/करते है कि जिस कार्य के लिए निविदा की गई है उसका मेरे/संस्था के पास कार्य पूर्ण अनुभव है। यदि यह घोषणा असत्य पाई जावें तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो कि की जा सकती है पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी धरोहर राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से जब्त की जा सकती है तथा निविदा को जिस भाग/सीमा तक स्वीकार किया गया है को रद्द किया जा सकेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

Annexure A: Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall-

(a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

(c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

(g) disclose conflict of interest, if any; and

(h) disclose any previous transgressions with any entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interest that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if including but not limited to:

a. have controlling partners/ shareholders in common; or

b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or

c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or

d. have a relationship with each other directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the procuring Entity regarding the bidding process; or

e. the Bidder participates in more than one Bid in bidding process. Participation by a Bidder in more than on Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participate as Bidder, in more than one Bid; or

f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, words or services that are the subject of the Bid; or

g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to the hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

Date **signature of bidder Place**
name

Annexure B: Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to ....for procurement of ....in response to their Notice Inviting Bids No...................... Dated .... I/we hereby declare under section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. **I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the bidding Document issued by the Procuring Entity;**
2. **I/we have fulfilled by/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the bidding document;**
3. **I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have , my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceeding for any of the foregoing reasons;**
4. **I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statement s or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceeding;**
5. **I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the bidding Document, which materially affects fair competition;**

Date **signature of bidder**

place **name**

designation

Address

कार्यालय पंचायत समिति—पाटन, जिला— सीकर

कार्य का नामः— डोर टू डोर कचरा संग्रहण, पृथक्करण , सड़क, नाली एवं CSC सफाई कार्य

कार्यकारी एजेन्सी— Gram Panchayat hasampur

DETAIL ESTIMATE

S.No.	BSR No.	WORK DETAIL				TOTAL	RATE	UNIT	TOTAL Amount
1	1B	(ब) जब वाहन ड्राईवर मय POL श्रमिक कचरा संग्रहण मय निर्धारित कचरा संग्रहण स्थान (Dumping Yard) पर पहुचाने सहित कार्य हेतु उपकरण सुरक्षा उपकरण मय मेडिकल किट एवं श्रमिक आदि संवेदक द्वारा उपलब्ध कराकर कार्य जिसमें कचरा पृथकरण कर पृथकरण में पाये गये प्लास्टिक अपशिष्ट का सुरक्षित निपटान (प्लास्टिक बेस्ट मेनेजमेन्ट नियम 2016 यथा संशोधित) कार्य सममिलित है।कचरे से Degradable & Non Degradable Waste का पृथक्करण सहित ।							
		HOUSE HOLD	DAY/MONTH		MONTH				
		870	30		12	313200	2.63	HH	823716
2	3	सडक / बाजार / मुख्य चौक में झाडू एवं सफाई कार्य हेतु आवश्यक उपकरण के साथ – साथ सुरक्षा उपकरण मय मेडिल किट आदि संवेदक द्वारा उपलब्ध कराना तथा कचरे का निर्धारित कचरा संग्रहण स्थान (Dumping Yard) पर पहुचाना।							
		AREA OF ROAD		DAY/MONTH	MONTH				
		28500		4	12	1368000	0.1	SQM	136800
3	4	नाली सफाई कार्य मय कार्य हेतु आवश्यक उपकरण के साथ साथ सुरक्षा उपकरण मय मेडिकल किट आदि संवेदक द्वारा उपलब्ध कराना सहित कचरे का निर्धारित कचरा संग्रहण स्थान (Dumping Yard) पर पहुचाना							
		LENGTH	WIDTH*DEPTH	DAY/MONTH	MONTH				
	Nala	320	0.18	2	12	1382.4			
	Nali	2450	0.0200	2	12	1176			
						2558.4	57.69	CUM	147594.096
4	5	सामुदायिक स्वच्छता परिसर (CSC) की सफाई का कार्य करने हेतु आवश्यक सामग्री के साथ साथ सुरक्षा उपकरण मय मेडिकल किट आदि सहित कार्य							
		NO OF CSC		DAY/MONTH	MONTH				
		3		30	12	1080	49.08	NO	53006.4
					TOTAL				**1161116.50**
5					CONTIGENCY 3 %				34833.49
					TOTAL				1195949.99
					Say Rs.				1195950

Signature Not Verified

Digitally signed by VIKRAM GURJAR
Date: 2026.05.06 13:28:30 IST
Location: Rajasthan-RJ